कार्यालय आख्या

श्रीमान जी,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं0 – 24/2013 श्रीमती सुनिता देवी आदि बनाम प्रेमनाथ यादव आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक 22.06.2022 को उभय पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 – 12,68,830/-रू0 (बारह लाख, अढसठ हजार, आठ सौ तीस रूपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कं0 द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 – 12,68,830/-रू0 (बारह लाख, अढसठ हजार, आठ सौ तीस रूपये) मय ब्याज अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 0850383, 0850384, 0850385 व 0850382 दिनांकित 27.05.2023 क्रमशः 50,000 -50,000 – 50,000 – 50,000/-रूपये इण्डियन बैंक में राहुल कुमार, विशेष कुमार, रचना व सरजीत सिंह के पक्ष में 3-3 वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 02.05.2026 को परिपक्व हो चुकी है।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

पत्रावली पर श्री कपिल प्रताप सिंह, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

आदेश

20.07.2026

एम.ए.सी. सं0 – 24/2013 श्रीमती सुनिता देवी आदि बनाम प्रेमनाथ यादव आदि में याची की ओर से प्रार्थना पत्र एफ.डी.आर. सं0 0850383, 0850384, 0850385 व 0850382 के भुगतान हेंतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्यां के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कं0 द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 – 12,68,830/-रू0 (बारह लाख, अढसठ हजार, आठ सौ तीस रूपये) मय ब्याज अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 0850383, 0850384, 0850385 व 0850382 दिनांकित 27.05.2023 क्रमशः 50,000 -50,000 – 50,000 – 50,000/-रूपये इण्डियन बैंक में राहुल कुमार, विशेष कुमार, रचना व सरजीत सिंह के पक्ष में 3-3 वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 02.05.2026 को परिपक्व हो चुकी है। उक्त एफ.डी.आर. की धनराशि का भुगतान याची को नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

बैंक ब्याज याचीगण को नकद के साथ दिया जाये।

तदानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।